गम्भीर रहना चाहिए इन विन्दुओं पर अन्तिम निर्णय समूह द्वारा ही लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष के कर्तव्य -

- बैठकों की अध्यक्षता करना व सुचारू रूप से चलाना।
- सदस्यों को कर्ज देने में पारदर्शिता का माहौल बनाना।

सचिव के कर्तव्य -

- बैठक की कार्यवाही लिखना/लिखाना।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना।
- कोषाध्यक्ष की मदद करना।

कोषाध्यक्ष के कर्तव्य -

- पैसे की सुरक्षा करना।
- बचत व कर्ज सम्बन्धित लेन-देन का हिसाब रखना।
- सदस्यों के पासबुक में प्राप्त धन अंकित करना व करवाना।

शोहरतगढ़ एन्वायरन्मेंटल सोसाइटी

-: प्रधान कार्यालय :-

9 प्रेमकुंज, आदर्श कालोनी शोहरतगढ़,
सिद्धार्थनगर - 272205

-: रिजनल शाखा :-

एमएमआईजी 1/28 प्रथम तल, सेक्टर-ए
सीतापुर रोड योजना, लखनऊ- 226021

-: सहयोगी संस्था :-

जमशेद जी टाटा ट्रस्ट, मुम्बई

Ptd. Shanker Offset Printers, S.Nagar, M.-9935282540

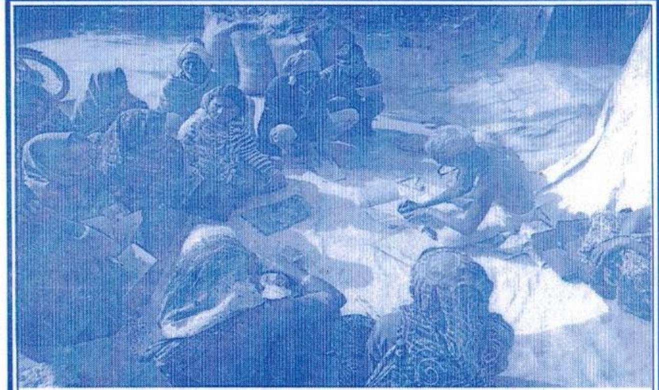

गरीबों के विकास का सही रास्ता - स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह क्या है ?

स्वयं सहायता समूह ऐसे निर्धन ग्रामीणों का एक समूह है। जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी होती है। ये लोग अपनी इच्छा से एक समूह के रूप में संगठित होकर नियमित रूप से रूपये की बचत करते हैं व आन्तरिक लेन-देन करके अपनी जरूरत पूरी करते हैं। हर सप्ताह या पाक्षिक या मासिक नियमित रूप से बैठक करते हैं।

स्वयं सहायता समूह क्यों बनाएं ?

समूह सदस्यों का लाभ -

- जैसे बूँद-बूँद से घड़ा भरता है वैसे ही सभी सदस्यों की थोड़ी-थोड़ी बचत इकट्ठी होकर